

संख्या शिक्षा (प्रा0)एच0 (4)3-10/2016  
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,  
हिमाचल प्रदेश ।

25 APR 2016

दिनांक शिमला- 171001 अप्रैल, 2016

प्रेषित :-

1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :-

महात्मा गाँधी वर्दी योजना 2015-16 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से दसवी के लड़कों तथा लड़कियों की वर्दियों की आपूर्ति वारे ।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय द्वारा जारी सम संख्यक पत्र दिनांक 17-11-2015, 18-12-2016 तथा 08-02-2016 का काम जारी रखते हुये आप इस सन्दर्भ में विम्नलिखित बात प्राथमिकता के अभाव पर पूर्ण करना सुनिश्चित करे -

- महात्मा गाँधी वर्दी योजना 2015-16 के अन्तर्गत समस्त वर्दियों की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म द्वारा पूर्ण कर ली गई है । अतः आप प्रदेश में सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा पहली से दसवी के सभी छात्र/छात्राओं को दो-2 वर्दियों के सेट (set) और इसके साथ-2 सभी छात्र/छात्राओं को मु0 200/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा (100/- प्रति वर्दी के सेट के हिसाब से) सरकार द्वारा प्रदान की गई सिलाई के लिए धनराशि प्रदान करवाया जा सुनिश्चित करे और इस आशय का ( Indenting officers wise ) प्रमाण पत्र इस निदेशालय का भेजे कि आपके जिले में सभी छात्र/छात्राओं जो सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो दो-2 वर्दियों के सेट एवम् उसके साथ-2 सिलाई की धनराशि भी प्रदान कर दी गई है । यदि कोई विद्यार्थी (छात्र/छात्रा) सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निशुल्क दो-2 वर्दियों के सेटस एवम् सिलाई की धनराशि मु 200 रुपये प्रति छात्र/छात्रा वंचित रहते है या उन्हें उक्त सुविधा नियमानुसार उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो इस स्थिति में कोटाही करने वाले अधिकारी एवम् कर्मचारी के विरुद्ध सख्त एवम् कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

- प्रत्येक प्राक्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEOs/GSSS Principals) वर्दियों की लंब उरिस्त हेतु वर्दियों के चार अलग-अलग पैकेट, जिसमें दो अलग-अलग लड़कों के सेट तथा दो अलग-अलग लड़कियों के सेटों को चार अलग-अलग सीलड पैकेट ( sealed packet ) में बन्द करके इस्ताक्षर एवं मोहर सहित नमूने (random samples) प्रथम निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति नियम सीमित ब्लाक न0 16-17 एसडीए कमिश्नरियल कम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, के कार्यालय में शोध उपलब्ध करवाया सुनिश्चित करे ।

- सभी उप-निदेशक प्रा0/उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक सम्बन्धित प्राक्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEOs/GSSS Principals) वर्दियों की डूनाई के बिल अतिशोध आपके कार्यालय में जमा करवाए तथा आप इन्हें अपने कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी (ब0 व अ0) से इस्ताक्षर एवं मोहर के उपरांत इस निदेशालय को भेजने की कृपा करे ।

- सभी उप-निदेशक प्रा0/उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक प्राक्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEOs/GSSS Principals) से यदि वर्दियों की अतिरिक्त मांग आती है तो यह स्पष्ट करे कि क्या उनके अधीन विद्यालय में उतना नामांकन बढ़ा था तथा इसलिए आप नामांकन के बढ़ने का कारण मांग सहित इस निदेशालय को तीन दिनों के भीतर भेजे ताकि इस सन्दर्भ में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

कृपया इसे अति आवश्यक और समयबद्ध समझे ।

Discussions

ADHE

W  
2/5

Li

W  
4/26

6563  
575

Suchi  
निदेशक  
W

पृष्ठांकन संख्या: ईडीएन-यू (जी-1) वर्दियां / -13653-659 5 मई, 2016

प्रतिलिपि:-

- 1 शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक हि0प्र0 शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
- 2 खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अम्ब, बंगाणा, कलोह, मुबारिकपुर हरोली ऊना (छात्रा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा निर्देश दिए जाते हैं कि सूचना तीन दिन के भीतर जमा करवाएं ताकि सूचना शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिमला को भेजी जा सके देरी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

*(Signature)*  
उप शिक्षा निदेशक  
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)